लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4499

19 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र उद्योग का योगदान

4499. डॉ. रमापति राम त्रिपाठीः

डॉ. निशिकांत दुबेः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान औद्योगिक उत्पादन, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और आय में वस्त्र उद्योग द्वारा निर्यात का प्रतिशत योगदान कितना है;

(ख) वस्त्र उद्योग के माध्यम से देश में अनुमानित संख्या में कितने लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है;

(ग) क्या सरकार का इस क्षेत्र की विशाल रोजगार सृजन क्षमता के मद्देनजर वस्त्र उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में नए निवेश के लिए कोई योजना बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्षेत्र-वार क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या विगत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान वस्त्र क्षेत्र में निर्यात में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान बुने हुए और हथकरघा वस्त्र सहित वस्त्र उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान औद्योगिक उत्पादन तथा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वस्त्र उद्योग के प्रतिशत योगदान का ब्यौरा तालिका (i) तथा वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान वस्त्र निर्यात से आय का ब्यौरा तालिका (ii) में दर्शाया गया है :-

(i) भारत की जीडीपी तथा विनिर्माण क्षेत्र की जीडीपी में वस्त्र क्षेत्र का हिस्सा -

(आधार मूल्य पर) **(करोड़ रु. में)**

वर्ष	**विनिर्माण क्षेत्र की जीडीपी में वस्त्र उद्योग की हिस्सेदारी का प्रतिशत**	**भारत की जीडीपी में वस्त्र उद्योग की हिस्सेदारी का प्रतिशत**
2014-15	13.50	2.33
2015-16	12.43	2.22
2016-17	12.65	2.30

स्रोत : राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, 2018

(ii) वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान हस्तशिल्प सहित भारत का वस्त्र निर्यात :

(करोड़ रु. में)

वर्ष	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
हस्तशिल्प सहित वस्त्र निर्यात (करोड़ रुपए में)	265340.00	255159.98	255336.98

(ख) वस्त्र उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से 4.5 करोड़ से अधिक लोग और अन्य संबद्ध में 6 करोड़ लोग शामिल/नियोजित हैं, जिसमें इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में नियोजित महिला एवं ग्रामीण भी शामिल हैं।

(ग) सरकार ने देशभर में वस्त्र क्षेत्र में निवेश, उत्पादन, निर्यात तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :-

(i) अपैरल तथा मेड-अप्स क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने तथा रोजगार सृजन (1.11 करोड़ अनुमानित नौकरियां) के उद्देश्य से वर्ष 2016 में 6,000 करोड़ रुपए का एक विशेष पैकेज शुरू किया गया था, जिसके 3 प्रमुख संघटक थे, यथा (i) राज्य लेवियों में छूट (आरओएसएल), निर्यातकों द्वारा अदा किए गए राज्य स्तरीय करों की पूर्ण वापसी (ii) संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) के अंतर्गत 10 प्रतिशत उत्पादन संबंद्ध अतिरिक्त प्रोत्साहन और (iii) वस्त्र तथा अपैरल (टीएण्डए) क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों के लिए 15,000 रुपए प्रतिमाह से कम आय अर्जित करने वाले परिधान उद्योग के कर्मचारियों को 1 अप्रैल, 2018 से 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रधानमंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमपीआरपीवाई) के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में नियोक्ता का पूर्ण अंशदान (12%);

(ii) 2016-22 के दौरान 17,822 करोड़ रूपए के परिव्यय से वस्त्र उद्योग की प्रौद्योगिकी/मशीनरी का उन्नयन करने के लिए संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है जो वर्ष 2022 तक वस्त्र क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करेगा और 35.62 लाख रोजगार सृजित करेगा।

(iii) एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) के तहत वस्त्र अवसंरचना के निर्माण और रोजगार का सृजन करने के लिए वस्त्र पार्क स्थापित करने हेतु 40 करोड़ रूपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन 40% की सब्सिडी प्रदान की जाती है।

(iv) जनवरी, 2019 में निटिंग एवं निटवियर कलस्टरों में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 47.72 करोड़ रुपए के परिव्यय से दिनांक 31.03.2020 की अवधि तक निटिंग तथा निटवियर विकास योजना नामक एक अलग योजना शुरू की गई है जो लगभग 24 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है।

(v) सरकार ने वर्ष 2017-18 से 2019-20 की तीन वर्षों की अवधि में 1300 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 'समर्थ-क्षमता निर्माण योजना' नामक एक नई योजना को अनुमोदित किया है। इस योजना का उद्देश्य परंपरागत क्षेत्र में कौशल तथा कौशल उन्नयन सहित संगठित तथा संबंधित क्षेत्र में नौकरियों के सृजन के लिए उद्योग के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और उनमें सहायता प्रदान करने के लिए एक मांग आधारित, प्लेसमेंट उन्मुखी राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप कौशल कार्यक्रमों को उपलब्ध कराना है;

(vi) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम-व्यापक हथकरघा कलस्टर विकास योजना, आधारभूत इनपुट, करघों तथा उपस्करों, डिजाइन एवं विकास, अवसंरचना विकास, हथकरघा उत्पादों का विपणन आदि उपलब्ध कराने के लिए यार्न आपूर्ति योजना;

(vii) डिजाइन, प्रौद्योगिकी उन्नयन, अवसंरचना विकास, विपणन आदि के लिए सहायता उपलब्ध कराकर एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से हस्तशिल्प कलस्टरों के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम तथा व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजनाएं;

(viii) 'पावरटेक्स इंडिया' को करघा उन्नयन, अवसंरचना के निर्माण तथा रियायती ऋण तक पहुंच-फैब्रिक सेगमेंट को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्ष की अवधि हेतु 487 करोड़ रुपए के परिव्यय से दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से शुरू किया गया था;

(ix) वर्ष 2019-20 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए 2,161.68 करोड़ रुपए के परिव्यय से रेशम क्षेत्र-एकीकृत रेशम उत्पादन विकास परियोजना तथा गहन बाईवोल्टाइन रेशम उत्पादन विकास परियोजना के व्यापक विकास के लिए एक नई योजना 'रेशम समग्र' शुरू की गई थी जिसमें से 38 रेशम उत्पादन परियोजनाएं वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक 1107 करोड़ रुपए की कुल लागत से 8 पूर्वोत्तर राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें 63,000 लाभार्थियों को शामिल किया गया है;

(x) प्रमाणित बीजों के संवर्धन, बेहतर कृषकीय प्रक्रियाओं और पटसन संयंत्रों के माइक्रोबियल पुन:उपयोग के माध्यम से किसानों की आय मे न्यूनतम 50% वृद्धि के लिए जूट आईकेयर;

(xi) मशीन शीप शियरिंग, ऊन बाजारों के सशक्तीकरण और प्रसंस्करण तथा ऊनी उत्पाद विनिर्माण द्वारा ऊन क्षेत्र के विकास के लिए एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम;

(xii) वस्त्र उद्योग के सभी क्षेत्रों को अवसंरचना, क्षमता निर्माण तथा विपणन सहायता उपलब्ध कराकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस);

(घ) उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर भाग (क) के उत्तर में तालिका (क),(ii) की तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार वर्ष 2017-18 में 255159.98 करोड़ रुपए का निर्यात वर्ष 2018-19 में बढ़कर 255336.98 करोड़ रुपए हो गया है।

(ड़) उपर्युक्त के अतिरिक्त सरकार निटवियर तथा हथकरघा सहित निर्यात एवं वस्त्र उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है, जैसे परिधान एवं मेड-अप्स क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज-राज्य लेवियों में छूट (आरओएसएल); श्रम कानून सुधार; संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) के अंतर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहन; और आयकर अधिनियम की धारा 80जेजेएए में छूट आदि। आरओएसएल योजना के स्थान पर 7 मार्च, 2019 से नई आरओएससीटीएल (राज्य एवं केन्द्रीय करों तथा लेवियों में छूट) योजना को लागू किया गया है और यह योजना 31.03.2020 तक लागू रहेगी।

इसके अतिरिक्त, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) के अंतर्गत 1 नवंबर, 2017 से परिधान तथा मेड-अप्स के लिए दरों को 2% से बढ़ाकर 4%, हथकरघा तथा हस्तशिल्प के लिए 5% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। बाजार सुविधा पहल (एमएआई) योजना के अंतर्गत निर्यातकों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। सरकार ने वस्त्र क्षेत्र के एमएसएमई द्वारा किए गए निर्यातों पर लदान पूर्व तथा लदान पश्चात शिपमेंट क्रेडिट के लिए ब्याज समानीकरण दर को 2.11.2018 से 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया है। ब्याज समानीकरण योजना के लाभों को 2.1.2019 से मर्चेंट निर्यातकों को उपलब्ध कराया गया है जो इससे पूर्व केवल विनिर्माता निर्यातकों के लिए ही उपलब्ध थे। परिधान उद्योग की लागत में कमी करने के लिए मानव निर्मित फाइबर यार्न पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 12% कर दिया है।

फैब्रिक की लागत में कमी करने के लिए फैब्रिक पर संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी की अनुमति दी गई है जो परिधानों के लिए एक प्रमुख इनपुट है। इसके अतिरिक्त ब्याज आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत बजट भाषण में यह घोषित किया गया था कि नए और वृद्धिशील ऋणों पर सभी जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई के लिए 2% ब्याज आर्थिक सहायता हेतु 350 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त सरकार रेशम, ऊन तथा पटसन क्षेत्रों सहित परंपरागत हथकरघा तथा हस्तशिल्प क्षेत्रों को प्रोत्साहन एवं समर्थन दे रही है, ताकि इन क्षेत्रों में उत्पादन तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जा सके।

*****